

2020/0001

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

अर्चना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
06/20	53,188, 183 RTA	— लोको	६९३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
अंकार लाल	बनाम	प्रभूलाल	

वकील :- शक्र सिंह जोशी एडवो आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

7⁰¹/₂₀ अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188, 183 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गण के इस मामले में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का आवलोकन किया गया। प्रमाण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी गण को जरिये समन तलब कर पत्रावली दिनांक 28/01/20 को पेश हो।

28⁰¹/₂₀ अतिथीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24/01/20 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

24²/₂₀ पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O साहव वारे भीटिका में पधार है। आदेश पूर्ववत पत्रावली इतना समन दिनांक 31/3/20 को को पेश हो।
 वादतामील
 समनप्राप्त

31³/₂₀ अतिथीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4/5/20 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

4⁵/₂₀ अतिथीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16/2 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए परीक्षण उपर। जवाब पेश नहीं हुआ। लागू पाएँ हैं। Rs. 200/- का पर एक कोर क्लिप अवसर दिया जाता है। आपका जवाब पेश नहीं होने पर जवाब अर्द्ध कर दिया जाएगा। कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। पत्रावली वालें जवाब दिनांक 15.10.24 को पेश हो।

15.10.24 पत्रावली पेश हुई वकील काही उपर। वकील जॉर्ज काही व स्वयं जॉर्ज काही उपर नहीं है वकील जॉर्ज काही व स्वयं जॉर्ज काही को वॉर काट आवाज लगावई जॉर्ज कावर्ड इण्ड के माफा के उपर नहीं है उनके विरुद्ध एक एलएम कार्रवाई की जावी है पत्रावली काटे लागू काही दिनांक 18.11.24 को पेश हो।

18.11.24 पत्रावली पेश हुई वकील काही उपर। लागू काही उपर नहीं है लागू पाएँ हैं है पत्रावली काटे लागू काही दिनांक 2-12-24 को पेश हो।

2.12.24 आज पीटासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 9.12.24 को पेश हो।

रोडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छवड़ा (बारा)

9.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकील काही एवं स्वयं काही उपर नहीं हुए हैं। न्यायालय के क्लक-कल कर तीन बार आवाज पुकारवाई गई। न्यायालय कार्यवाही लपकित होने तक इन्तजार किया गया। कोई उपर नहीं हुए। प्रलरण कडक हाजरी कडक परवी ने प्यारेज किया जाता है। पत्रावली प्रेशल सुनार होकर हाथिल इप्तर हो।